

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या

दायर दिनांक

निर्णय दिनांक

298/2023

18.08.2023

26.02.2024


उनवान

1. हंसराज पुत्र ओमप्रकाश गुर्जर, जाति गुर्जर उम्र वयस्क, निवासी कचोलिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा-राज.
2. नाबालिग सतपाल पुत्र ओमप्रकाश सरंक्षक सरपरस्त दादा जाति गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी कचोलिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा-राज.

-प्रार्थीगण

बनाम

1. चुनी पत्नी स्व. श्री सत्यनारायण कीर, उम्र वयस्क, निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा-राज.,
2. जमनी पुत्री स्व. श्री सत्यनारायण कीर, उम्र वयस्क, निवासी हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा-राज. मंगरोप, तहसील
3. नारायण पुत्र स्व. श्री सत्यनारायण कीर, उम्र वयस्क, निवासी 3- हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा-राज. मंगरोप, तहसील
4. हरीश पुत्र स्व. श्री सत्यनारायण कीर, उम्र वयस्क, निवासी मंगरोप, तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा-राज.
5. रेखा पुत्री स्व. श्री सत्यनारायण कीर, उम्र वयस्क, निवासी मंगरोप, तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा-राज.
6. फुमा पुत्री श्री रामचन्द्र कीर, उम्र वयस्क, निवासी मंगरोप, तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा-राज.
7. मैना पुत्री स्व. श्री सत्यनारायण कीर, उम्र वयस्क, निवासी जिला भीलवाड़ा-राज. मंगरोप, तहसील हमीरगढ़
8. हरकु पुत्री पुत्री श्री रामचन्द्र कीर, उम्र वयस्क, निवासी जिला भीलवाड़ा-राज. मंगरोप, तहसील हमीरगढ़
9. किशन पुत्र श्री कालू गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी भीलवाड़ा-राज. कचोलिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा-राज.
10. दुर्गा लाल पुत्र श्री कालू गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी भीलवाड़ा-राज. कचोलिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा-राज.
11. सोहनी पत्नी श्री कालू गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी भीलवाड़ा-राज, कचोलिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा-राज.
12. गोटु पुत्र श्री रामा गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी भीलवाड़ा-राज. कचोलिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा-राज.
13. प्रभू पुत्र श्री रामा गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी भीलवाड़ा-राज. कचोलिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा-राज.
14. मैना पुत्री श्री माधु गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी भीलवाड़ा-राज. कचोलिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा-राज.



उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

- 15. रामू देवी पत्नी श्री माधु गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी कचोलिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा-राज.
- 16. मैना पुत्री श्री माधु गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी भीलवाड़ा-राज. कचोलिया, तहसील व जिला भीलवाड़ा-राज.
- 17. उदा पुत्री श्री उरजन गाडरी, उम्र वयस्क, निवासी भीलवाड़ा-राज. कचोलिया, तहसील व जिला
- 18. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपस्थित:- अधिवक्ता प्रार्थी ओम प्रकाश पटवारी -विपक्षीगण
 अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 17 उपस्थित नहीं


-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

-: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कचोलिया प0ह0 मण्डपिया भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत् 2070-2073 के खाता संख्या 60 की अभिलिखित आराजियात 108/3, 108/4, 74, 76/2, 78 कुल किता 05 कुल रकबा 3.5153 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।


इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 17 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा कचोलिया प०ह० मण्डपिया भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटुण तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2070-2073 के खाता संख्या 60 की अभिलिखित आराजियात 108/3, 108/4, 74, 76/2, 78 कुल किता 05 कुल रकबा 3.5153 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा